अनुदान संख्या 58 – विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग
GRANT No. 58 - DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	106040,74,00		106040,78,00	84013,96,34	-22026,81,66
पूरक	Supplementary	4,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					17192,34,78

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय–सामाजिक सेवाएं	Secretariat-Social Services				
मू.	O.	3500.00	2608.09	2608.08	-0.01
पु.	R.	-891.91			
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	2436918.00			
पू.	S.	1.00	1304515.02	1304234.33	-280.69
पु.	R.	-1132403.98			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	518000.00			
पू.	S.	1.00	..	..	..
पु.	R.	-518001.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	7493813.00			
पू.	S.	1.00	7495278.13	7012111.95	-483166.18
पु.	R.	1464.13			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	151843.00			
पू.	S.	1.00	82441.98	82441.98	..
पु.	R.	-69402.02			

(I) ₹1559926.00 लाख का प्रावधान (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) तीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹1558712.86 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः–

(का) मुख्य शीर्ष "2202" –

(क) "प्रारंभिक शिक्षा – अन्य व्यय – प्रधानमंत्री अभिनव शिक्षा कार्यक्रम (ध्रुव)" – ₹550.00 लाख – स्कीम के परिचालन न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर

(I) Provision of ₹1559926.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in February, 2021) remained wholly unutilized under thirty heads; of these ₹1558712.86 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2202" -

(a) "Elementary Education - Other Expenditure- Pradhan Mantri Innovative Learning Programme (DHRUV)" - ₹550.00

कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "माध्यमिक शिक्षा" –

(i) "आरक्षित निधि / जमा लेखों को अंतरण" –

(1) "माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (मुस्क) को अंतरण के लिए निधियां" – ₹556712.00 लाख निधि के लेखांकन प्रक्रिया का परिचालन न होने के कारण।

(2) "केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण के लिए निधियां" – ₹481650.00 लाख – वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण थे।

(ii) "अन्य व्यय – परिचालन डिजिटल बोर्ड" – ₹2500.00 लाख वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "माध्यमिक शिक्षा – गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता" –

(i) "स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹8950.18 लाख (₹0.18 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) "समग्र शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा" – ₹36933.05 लाख (₹0.05 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

lakhs - due to non-operationalization of the scheme and cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Secondary Education"-

(i) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts"-

(1) "Funds for Transfer to Madhyamik and Uchhatar Shiksha Kosh (MUSK)" - ₹556712.00 lakhs- due to non-operationalization of accounting procedure of the fund.

(2) "Funds for Transfer to Central Road and Infrastructure Fund"- ₹481650.00 lakhs- due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ii) "Other Expenditure - Operation Digital Board" - ₹2500.00 lakhs- due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and economy measures.

(B) Major Head - "2552" -

(a) "Secondary Education- Assistance to Non-Government Secondary Schools" -

(i) "Grants to Autonomous Bodies" - ₹8950.18 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.18 lakh);

(ii) "Samagra Shikha - Secondary Education" - ₹36933.05 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.05 lakh);

(ख) "माध्यमिक शिक्षा – छात्रवृत्तियां – छात्रवृत्तियां" – ₹550.00 लाख;

(ग) "प्रारंभिक शिक्षा – शिक्षक प्रशिक्षण – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा" – ₹5400.00 लाख;

(घ) "प्रारंभिक शिक्षा – अन्य व्यय" –

(i) "विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" – ₹65528.00 लाख;

(ii) "अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम" – ₹2200.00 लाख;

(iii) "समग्र शिक्षा" – ₹173800.10 लाख (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ङ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा" – ₹1800.00 लाख;

(ii) "प्रारंभिक शिक्षा – अन्य व्यय" – ₹18210.00 लाख;

(iii) "स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹1600.15 लाख (₹0.15 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(iv) "समग्र शिक्षा" – ₹28462.10 लाख (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(b) "Secondary Education-Scholarships-Scholarships" - ₹550.00 lakhs;

(c) "Elementary Education - Teachers Training-National Education Mission- Teachers Training and Adult Education" - ₹5400.00 lakhs;

(d) "Elementary Education - Other Expenditure" -

(i) "National Programme of Mid-Day Meals in Schools" - ₹65528.00 lakhs;

(ii) "Umbrella Programme for Development of Minorities" - ₹2200.00 lakhs;

(iii) "Samagra Shiksha" - ₹173800.10 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.10 lakh);

(e) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "National Education Mission-Teachers Training and Adult Education" - ₹1800.00 lakhs;

(ii) "Elementary Education- Other Expenditure" - ₹18210.00 lakhs;

(iii) "Grants to Autonomous Bodies" - ₹1600.15 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.15 lakh);

(iv) "Samagra Shiksha" - ₹28462.10 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.10 lakh);

(छ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा" – ₹1800.00 लाख;

(ii) "प्रारंभिक शिक्षा – अन्य व्यय" – ₹16262.03 लाख (₹0.03 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(iii) "स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹1300.15 लाख (₹0.15 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(iv) "समग्र शिक्षा" – ₹154505.10 लाख (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

उपर्युक्त पन्द्रह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग" – ₹891.92 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुआ।

(III) मुख्य शीर्ष "2202" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "प्रारंभिक शिक्षा" –

(क) "विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" –

(i) "राष्ट्रीय घटक" – ₹1007.66 लाख की बचत (₹1820.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान

(f) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "National Education Mission-Teachers Training and Adult Education"- ₹1800.00 lakhs;

(ii) "Elementary Education- Other Expenditure" - ₹16262.03 lakhs (including token supplementary grant of ₹ 0.03 lakh);

(iii) "Grants to Autonomous Bodies"- ₹1300.15 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.15 lakh); and

(iv) "Samagra Shiksha" - ₹154505.10 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.10 lakh).

Provisions under the above fifteen heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2251" - "Secretariat-Department of School Education and Literacy" - saving of ₹891.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(III) Under Major Head "2202" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Elementary Education" -

(a) "National Programme of Mid-Day Meals in Schools" -

(i) "National Component" - saving of ₹1007.66 lakhs (against the sanctioned

की तुलना में) विज्ञापन प्रस्तावों की प्राप्ति कम होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ii) "बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र को सहायता" – ₹1735.73 लाख की बचत (₹4010.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" – ₹665.44 लाख की बचत (₹776.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दादरा और नागर हवेली से कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(ग) "समग्र शिक्षा – समग्र शिक्षा" – ₹1542.23 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹0.09 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹21052.09 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने, विज्ञापन प्रस्तावों का कम होने, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(घ) "अन्य व्यय – स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹651.79 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹0.02 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2200.02 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) "माध्यमिक शिक्षा" –

(क) "छात्रवृत्तियां – छात्रवृत्तियां" – ₹5891.74 लाख की बचत (₹28850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान

provision of ₹1820.00 lakhs) was due to less receipt of advertising proposals and economy measures.

(ii) "Assistance to Union Territories without legislature" - saving of ₹1735.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4010.00 lakhs); and

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes- National Programme of Mid-Day Meals in Schools" - saving of ₹665.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹776.00 lakhs).

Saving under the above two heads were due to less receipt of viable proposals from the UTs of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Dadra and Nagar Haveli.

(c) "Samagra Shiksha - Samagra Shiksha" - saving of ₹1542.23 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹21052.09 lakhs including token supplementary grant of ₹0.09 lakh obtained in February, 2021) was due to less receipt of viable proposals, less advertisement proposals, cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance and economy measures.

(d) "Other Expenditure- Grants to Autonomous Bodies" - saving of ₹651.79 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2200.02 lakhs including token supplementary grant of ₹0.02 lakh obtained in February, 2021) was due to requirement of less funds by National Bal Bhawan (NBB).

(B) "Secondary Education" -

(a) "Scholarships - Scholarships" - saving of ₹5891.74 lakhs (against the sanctioned

की तुलना में) कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति होने, स्कीम के बंद होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

provision of ₹28850.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals, non-continuation of the Scheme and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – छात्रवृत्तियां" – ₹5165.96 लाख की बचत (₹12200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के बंद होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Scholarships" - saving of ₹5165.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12200.00 lakhs) was due to discontinuation of the scheme and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – छात्रवृत्तियां" – ₹4115.20 लाख की बचत (₹6250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के बंद होने, व्यवहार्य प्रस्तावों की कुल प्राप्ति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(c) "Tribal Area Sub-Plan- Scholarships"- saving of ₹4115.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6250.00 lakhs) was due to discontinuation of the scheme, less receipt of viable proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(घ) "आरक्षित निधियों/जमा लेखा को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण के लिए निधियां" – ₹200000.00 लाख की बचत (₹400000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(d) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts" - Funds for Transfer to National Investment Fund" - saving of ₹200000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" – बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(IV) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(का) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा" –

(A) "Central Assistance/ Share" -

(क) "समग्र शिक्षा – प्रारंभिक शिक्षा" – ₹407612.23 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹0.04 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1980369.04 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(a) "Samagra Shiksha-Elementary Education"- saving of ₹407612.23 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1980369.04 lakhs including token supplementary grant of ₹0.04 lakh obtained in February, 2021);

(ख) "समग्र शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा" – ₹84983.79 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹0.08 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹353751.08 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(क) "समग्र शिक्षा – प्रारंभिक शिक्षा" – ₹182903.43 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹622720.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "समग्र शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा" – ₹35717.46 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹0.14 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹111200.04 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(गा) "आरक्षित निधियों/जमा लेखों का अंतरण – प्रारंभिक शिक्षा कोष को अंतरण निधि के लिए निधियां" – ₹164378.21 लाख की बचत (₹3181212.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा प्रारंभिक शिक्षा कोष की सीमा में वृद्धि होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा" –

(क) "समग्र शिक्षा – प्रारंभिक शिक्षा" – ₹51440.10 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹0.19 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित

(b) "Samagra Shiksha-Secondary Education"- saving of ₹84983.79 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹353751.08 lakhs including token supplementary grant of ₹0.08 lakh obtained in February, 2021);

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Samagra Shiksha - Elementary Education" - saving of ₹182903.43 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹622720.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh obtained in February, 2021); and

(b) "Samagra Shiksha - Secondary Education"- saving of ₹35717.46 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹111200.04 lakhs including token supplementary grant of ₹0.04 lakh obtained in February, 2021).

Savings under the above four heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and economy measures.

(C) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Funds for transfer to Prarambhik Shiksha Kosh" - saving of ₹164378.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3181212.00 lakhs) was due to enhancement of ceiling of Prarambhik Shiksha Kosh by the Ministry of Finance.

(V) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Assistance/ Share" -

(a) "Samagra Shiksha - Elementary Education" - saving of ₹51440.10 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹77900.19 lakhs

₹77900.19 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "समग्र शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा" – ₹9582.11 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹0.09 के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹21300.09 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति होने, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(क) "समग्र शिक्षा – प्रारंभिक शिक्षा" – ₹4130.34 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹0.09 के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹11500.09 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ख) "समग्र शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा" – ₹1735.89 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹0.09 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3000.09 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(क) "समग्र शिक्षा – प्रारंभिक शिक्षा" – ₹10955.80 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹0.09 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹17100.09 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "समग्र शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा" – ₹1500.09 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹0.09 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित

including token supplementary grant of ₹0.19 lakh obtained in February, 2021) ; and

(b) "Samagra Shiksha-Secondary Education"- saving of ₹9582.11 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹21300.09 lakhs including token supplementary grant of ₹0.09 lakh obtained in February, 2021).

Savings under the above two heads were due to less receipt of viable proposals, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and economy measures.

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Samagra Shiksha - Elementary Education"- saving of ₹4130.34 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹11500.09 lakhs including token supplementary grant of ₹0.09 lakh obtained in February, 2021) ;

(b) "Samagra Shiksha-Secondary Education" - saving of ₹1735.89 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3000.09 lakhs including token supplementary grant of ₹0.09 lakh obtained in February, 2021) ;

(C) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "Samagra Shiksha - Elementary Education"- saving of ₹10955.80 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹17100.09 lakhs including token supplementary grant of ₹0.09 lakh obtained in February, 2021) ; and

(b) "Samagra Shiksha - Secondary Education"- saving of ₹1500.09 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3000.09 lakhs

₹3000.09 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

including token supplementary grant of ₹0.09 lakh obtained in February, 2021).

बचतें उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above four heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(VI) उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत ₹682.53 लाख बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 34 प्रतिशत और 56 प्रतिशत थीं।

(VI) Under two heads savings of ₹682.53 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 34 percent and 56 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹535209.31 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि फरवरी, 2021 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹4.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2.(I) The above saving were partly (₹535209.31 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹4.00 lakhs in February, 2021 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2202" – "सामान्य शिक्षा" –

(क) "माध्यमिक शिक्षा" –

(i) "अनुसंधान और प्रशिक्षण – स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹8991.94 लाख।

(ii) "गैर–सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता – स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹51310.73 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹51044.72 लाख था।

(iii) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹48831.82 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹48829.53 लाख था।

(iv) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹22143.82 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹22131.44 लाख था।

(A) Major Head "2202" -

(a) "Secondary Education" -

(i) "Research and Training - Grants to Autonomous Bodies" - ₹8991.94 lakhs.

(ii) "Assistance to Non-Govt. Secondary Schools - Grants to Autonomous Bodies" - ₹51310.73 lakhs. Actual excess, however, was ₹51044.72 lakhs.

(iii) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Grants to Autonomous Bodies" ₹48831.82 lakhs. Actual excess, however, was ₹48829.53 lakhs.

(iv) "Tribal Area Sub-Plan - Grants to Autonomous Bodies" - ₹22143.82 lakhs. Actual excess, however, was ₹22131.44 lakhs.

(ख) "प्रौढ़ शिक्षा – अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम – पढ़ना–लिखना अभियान" – ₹365.21 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹365.20 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें"

(क) "केन्द्रीय सहायता / हिस्सा" –

(i) "अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम" – ₹1640.25 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1640.24 लाख था।

(ii) "विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" – ₹189372.90 लाख।

(iii) "पढ़ना–लिखना अभियान" – ₹4316.31 लाख।

(iv) "राज्यों के लिए अध्यापन – शिक्षण और परिणामों का सुदृढ़करण (स्टार)" – ₹2396.58 लाख।

(ख) "बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान– राज्यों के लिए अध्यापन – शिक्षण और परिणाम सुदृढ़ीकरण (स्टार)" – ₹2999.92 लाख।

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" – ₹53009.96 लाख।

(ii) "पढ़ना–लिखना अभियान" – ₹1247.77 लाख।

(b) "Adult Education - Other Adult Education Programmes - Padhna Likhna Abhiyan" - ₹365.21 lakhs. Actual excess, however, was ₹365.20 lakhs.

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(a) "Central Assistance/Share" -

(i) "Umbrella Programme for Development of Minorities" - ₹1640.25 lakhs. Actual excess, however, was ₹1640.24 lakhs.

(ii) "National Programme of Mid-Day Meals in Schools" - ₹189372.90 lakhs.

(iii) "Padhna Likhna Abhiyan" - ₹4316.31 lakhs.

(iv) "Strengthening Teaching-learning and Results for States (STARS)" - ₹2396.58 lakhs.

(b) "Externally Aided Projects - Grants for Centrally Sponsored Schemes - Strengthening Teaching - learning and Results for States (STARS)" - ₹2999.92 lakhs.

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "National Programme of Mid-Day Meals in Schools" - ₹53009.96 lakhs.

(ii) "Padhna Likhna Abhiyan" - ₹1247.77 lakhs.

(iii) "राज्यों के लिए अध्यापन – शिक्षण और परिणामों का सुदृढ़करण (एसटीएआरएस)" – ₹2399.92 लाख।

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" – ₹39361.96 लाख।

(ii) "पढ़ना–लिखना अभियान" – ₹674.83 लाख।

(iii) "समग्र शिक्षा – प्रारंभिक शिक्षा" – ₹94023.46 लाख।

(iv) "समग्र शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा" – ₹1081.28 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1081.29 लाख।

(v) "राज्यों के लिए अध्यापन – शिक्षण और परिणामों का सुदृढ़ीकरण " – ₹1319.92 (एसटीएआरएस) लाख।

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" –

(क) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" – ₹8552.25 लाख।

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" – ₹659.90 लाख।

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" – ₹508.58 लाख।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹336.23 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो स्वीकृत प्रावधान का 336 प्रतिशत था।

(iii) "Strengthening Teaching-learning and Results for States (STARS)" - ₹2399.92 lakhs.

(d) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "National Programme of Mid-Day Meals in Schools" - ₹39361.96 lakhs.

(ii) "Padhna Likhna Abhiyan" - ₹674.83 lakhs.

(iii) "Samagra Shiksha - Elementary Education" - ₹94023.46 lakhs.

(iv) "Samagra Shiksha- Secondary Education" - ₹1081.28 lakhs. Actual excess, however, was ₹1081.29 lakhs.

(v) "Strengthening Teaching-learning and Results for States (STARS)" - ₹1319.92 lakhs.

(C) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(a) "Central Assistance/Share - National Programme of Mid-Day Meals in Schools" - ₹8552.25 lakhs.

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes- National Programme of Mid-Day Meals in Schools" - ₹659.90 lakhs.

(c) "Tribal Area Sub-Plan- National Programme of Mid-Day Meals in Schools" - ₹508.58 lakhs.

(II) Under one head excess of ₹336.23 lakhs occurred constituting 336 percent of the sanctioned provision.

3. प्रारंभिक शिक्षा कोष

प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाने संबंधी कार्यक्रम के संबंध में धनराशि की व्यवस्था करने के लिए उपलब्ध योजना संसाधनों और अनुमानित आवश्यकता के बीच का अंतर समाप्त करने के लिए, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 के अंतर्गत निगम कर, निगम कर से भिन्न आय पर कर, अनुषंगी हितलाभ कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर पर @2% की दर पर शिक्षा उपकर लगाया गया।

नवम्बर, 2005 में, भारत के लोक लेखे में तात्कालिक प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा कोष नामक एक व्यपगत न होने वाली निधि का गठन किया गया।

शिक्षा उपकर से होने वाली समस्त् आय "सर्व शिक्षा अभियान" और "मध्याह्न भोजन संबंधी स्कीम" पर व्यय किए जाने के लिए इस प्रारंभिक शिक्षा कोष में जमा की जाएगी। किसी भी वित्तीय वर्ष में इन स्कीमों पर किए जाने वाले व्यय को शुरू में सकल बजटीय सहायता से व्यय किया जाएगा। इन स्कीमों पर योजना आबंटन संघटक और व्यय का वित्तपोषण सकल बजटीय सहायता के समाप्त होने के बाद ही प्रारंभिक शिक्षा कोष से उपलब्ध कराया जाएगा।

2% शिक्षा उपकर की अनुमानित प्राप्ति की तुलना में प्रारंभिक शिक्षा कोष को प्रारंभिक अंतरण के लिए संघ बजट 2020–21 में ₹31812,12,00 करोड़ का प्रावधान किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन संबंधी स्कीमों पर किए गए व्यय के संबंध में प्रारंभिक शिक्षा कोष से प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि के लिए बजट अनुमान 2020–21 में समान राशि उपलब्धि कराई गई थी।

3. Prarambhik Shiksha Kosh

In order to bridge the gap between available plan resources and estimated requirement to finance the programme for universalization of elementary education, the Finance (no.2) Act, 2004 levied an Education Cess @2% on Corporation Tax, Taxes on Income other than Corporation Tax Fringe Benefit Tax, Excise Duty, Custom Duty and Service Tax.

A non-lapsable fund called Prarambhik Shiksha Kosh was created in the public Accounts of India under the erstwhile Department of Elementary Education and Literacy in November, 2005.

All proceeds of Education Cess is to be credited in to this Prarambhik Shiksha Kosh for being spent on the schemes "Sarva Shiksha Abhiyan' and "Mid-Day Meal Scheme" Expenditure incurred on these schemes, in the any financial year, shall initially be incurred from Gross Budgetary Support (GBS). Component of Plan allocation and the expenditure on these schemes will be financed from Prarambhik Shiksha Kosh only after GBS is exhausted.

A provision of ₹31812,12,00 crores was made in the Union Budget 2020-21 for initial transfer to Prarambhik Shiksha Kosh against estimated receipt of 2% Education Cess. Identical amount was provided in B.E. 2020-21 for amount to be recouped from Prarambhik Shikasha Kosh in respect of expenditure incurred on the schemes relating to Sarva Shiksha Abhiyan and Mid Day Meal.

वर्ष 2020–21 से संबंधित निधि का लेखा इस प्रकार था:–

The Account of the Fund for the year 2020-21 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	2242,89,63
प्राप्तियां	Receipt	30168,33,79
अदायगियां	Payments	30168,33,79
अंतशेष	Closing Balance	2242,89,63